हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

15.04.2025

पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। जिसका संक्षेप विवरण इस प्रकार से है कि :–

- यह है कि प्रार्थी द्वारा अदालत प्रकरण में उनवानी प्रार्थना पत्र धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपने खेत पर आने–जाने का वर्षों पुराने रास्ते को बन्द हो जाने से उक्त रास्ते को खुलासा कराये जाने बाबत् बन्द हो जाने से उक्त रास्ते को खुलासा कराये जाने इस्तदुआ चाही है। उक्त वर्षो पुराने रास्ते को खुलासा करवाये जाने का अधिकार तहसीलदार खण्डार को है। इस न्यायालय को उक्त प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में सहखातेदार को भी पक्षकार नहीं बनाया है।
- यह है कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नया रास्ता दिये जाने के प्रावधान निहित किये गये है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नये रास्ते की मांग नहीं की गई है। बल्कि वर्षों पुराना बना हुआ बन्द रास्ते को खुलासा करवाने के लिए अदालत हाजा में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसका श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेशर किया गया प्रार्थना पत्र धारा 251ए विधि द्वारा वर्जित है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।
- अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें।
- वकील प्रार्थी को जबाव प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जाने पर भी पेश नहीं किया गयाहै। जबाव प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई।
- वकील अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए बताया है कि प्रार्थी द्वारा अदालत प्रकरण में उनवानी प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपने खेत पर आने–जाने का वर्षों पुराने रास्ते को बन्द हो जाने व रास्ते को खुलासा कराये जाने बाबत् इस्तदुआ चाही है। उक्त वर्षो पुराने रास्ते को खुलासा करवाये जाने का अधिकार तहसीलदार खण्डार को है। इस न्यायालय को उक्त प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में सहखातेदार को भी पक्षकार नहीं बनाया है। कन्हैया की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्रों का पक्षकार बनाया गया है जबकि उसकी पुत्रीयां व पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया है। इस न्यायालय को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नया रास्ता दिये जाने के प्रावधान निहित किये गये है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नये रास्ते की मांग नहीं की गई है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र धारा 251ए विधि द्वारा वर्जित है अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें।
- वकील प्रार्थी ने दोहरान बहस बताया है प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में सभी सम्बन्धित सहखातेदार को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी के खेत रास्ते के अभाव में फसल की बुवाई नहीं की गई है।
- मैनें वकील बहस उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema K
Date: 2025.09.08 13:58:47 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र चाहा गया अनुतोष पुराने रास्तें एवं बन्द रास्ते का खुलासा करवाये जाने चाहा गया है, जबकि पुराने रास्ते को खुलासा करवाने जाने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को है। प्रार्थी द्वारा कन्हैया की मृत्यु होने पर उसके पुत्रों को पक्षकार बनाया गया है। जबकि उसकी पुत्रीयां एवं पत्नि का आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए क्षेत्राधिकार एवं साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:47 IST
Reason: SelfAttested